



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 347 राँची, गुरुवार,

15 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 जून, 2021

संचिका संख्या.4/स०भू० सराय०.73/2020-1944/रा० दिनांक-16.06.2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो0-डोरण्डा, राँची ।

विषयः.

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-04.06.2021 में मद संख्या-15 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू, थाना सं०-413 के खाता सं०-213 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-40.44 एकड़ अनाबाद राज्य सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-1) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 के आलोक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उच्चतर मूल्य का निर्धारण करते हुए विभागीय जापांक-48/रा०, दिनांक-03.01.2017 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य 10,85,000/- (दस लाख पचासी हजार) रुपये प्रति एकड़ की दर से संगणित सलामी की राशि 4,38,77,400/-

(चार करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ) रुपये तथा सलामी का एक (01) प्रतिशत वार्षिक लगान 4,38,774/- (चार लाख अड़तीस हजार सात सौ चौहत्तर) रुपये एवं लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 3,29,081 (तीन लाख उनतीस हजार एक्यासी) रुपये तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि 2,22,67,795/- (दो करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार सात सौ पंचानवे) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 6,69,13,050/- (छः करोड़ उनहत्तर लाख तेरह हजार पचास) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में ।

आदेशः. स्वीकृत ।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- ii. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाई करेंगे ।
- iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- iv. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- v. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- vi. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा । अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा

किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

vii. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या.4306/रा0, दिनांक.24.10.2014 एवं विभागीय संकल्प संख्या.48/रा0, दिनांक.03.01.2017 तथा खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय.समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका सं०-4/सं०भू० सराय०-73/2020-1944/रा० दिनांक-16.06.2021

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र0	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	03/2020-21	राजनगर	कुजू/413	213	760	0.21	पुरानी परती
					740	19.79	पुरानी परती
					730	0.52	पुरानी परती
					731	0.19	पुरानी परती
					733	0.27	पुरानी परती
					735	1.02	पुरानी परती
					721	2.73	पुरानी परती
					723	1.62	पुरानी परती
					710	0.86	पुरानी परती
					711	0.63	पुरानी परती
					712	0.70	पुरानी परती
					714	1.61	पुरानी परती
					702	0.47	पुरानी परती
					703	0.23	पुरानी परती
					705	0.88	पुरानी परती
					706	0.98	पुरानी परती
					707	0.72	पुरानी परती
					708	0.30	पुरानी परती
					511	2.07	पुरानी परती
					505	1.17	पुरानी परती
					2	3.47	पुरानी परती
कुल—						40.44	

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि हेतु देय राशि की गणना :-

अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	मूल्य प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में)	सलामी का 1% वार्षिक लगान (रूपये में)	लगान का 75% सेस (रूपये में)	शेष 29 वर्षों का एकमुश्त लगान एवं सेस की राशि (रूपये में)	कुल (रूपये में) (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03/2020-21	कुजू	40.44	10,85,000/-	4,38,77,400/-	4,38,774/-	3,29,081/-	2,22,67,795/-	6,69,13,050/-

अर्थात् कुल देय राशि-6,69,13,050 /-(छः करोड़ उनहत्तर लाख तेरह हजार पचास) रुपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
